कोविड-19 से होने वाले प्रभावों पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके GSTR-3b और GSTR-1 के रिटर्न की तारीख को आगे बढ़ाया था| अब CBIC ने इन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को नोटिफिकेशन जारी कर के अमली जामा पहनाया है |

GSTR-3B के रिटर्न की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया अपितु GSTR-3B के कुछ तारीखों तक दाखिल करके लेने पर लेट फीस, शास्ति और ब्याज से मुक्ति दी गई है जो निम्नलिखित हैं:-

1. 5 करोड के Turnover के ऊपर के व्यवसाय वालों को फरवरी, मार्च तथा अप्रैल माह के रिटर्न GSTR-3B को 24.06.2020 तक जमा कराने पर लेट फीस नहीं लगेगी| Due date से 15 दिन तक जमा कराने पर ब्याज से छूट मिलेगी पर उसके पश्चात 9% ब्याज देगा| इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है| अगर फरवरी माह का रिटर्न जिसकी ड्यू डेट 20.03.2020 है उसको यह 24.06.2020 तक जमा कराने पर 20.03.2020 से लेकर 15 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगेगा| पर 05.04.2020 से 9% ब्याज देगा| इसमें यह कंडीशन है कि यह रिटर्न 24.06.2020 तक फाइल हो जाना चाहिए अन्यथा 20.03.2020 से ही 18% ब्याज देय होगा|मई माह का GSTR-3B रिटर्न 27.06.2020 तक फाइल कर सकते हैं | GSTR-1 रिटर्न 24/06/2020 तक फाइल करने पर लेट फीस नहीं लगेगी |

2. पिछले साल डेढ़ करोड़ से ऊपर तथा 5 करोड़ से नीचे तक का व्यवसाय करने वाले व्यापारी को फरवरी और मार्च का रिटर्न 29.06.2020 तक तथा अप्रैल माह का रिटर्न 30.06.2020 तक फाइल करने पर ब्याज तथा लेट फीस से मुक्ति होगी| पर तिथि के बाद फाइल करने पर लेट फीस तथा ब्याज शुरू से देना होगा| मई माह का रिटर्न की तिथि राज्यवार घोषित की गई है |

3. पिछले साल में डेढ़ करोड़ से कम का टर्नओवर करने वाले व्यापारी फरवरी माह का रिटर्न 30.06.2020 तक, मार्च माह का रिटर्न 03.07.2020 तक तथा अप्रैल माह का रिटर्न 06.07.2020 तक भरने पर ब्याज तथा लेट फीस से मुक्ति होगी |

इस तरह यह सरकार ने सभी व्यवसाई को लेट फीस व ब्याज से मुक्ति देकर कोविड-19 से उत्पन्न कठिन परिस्थिति में सबकी मदद की है| साथ ही सरकारी अधिकारी भी इस कठिन समय में भी ऑफिस का काम घर से कर मदद कर रहे हैं| जिसका उद्योग जगत व व्यापार संघ सभी स्वागत करते हैं |